अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 19/2022 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. बनवारी लाल मिश्रा पुत्र स्व श्री गुलाल चन्द मिश्रा
2. श्रीमती सीता मिश्रा धर्मपत्नी श्री बनवारी लाल मिश्रा

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी सी–91 जे पी कालोनी, ईमली फाटक, जयपुर, राजस्थान, हाल निवासी 48, लाईन्स कालोनी, सीताबाडी, टौंक रोड, पुलिस थाना ज्योति नगर, जयपुर।

अपीलार्थीगण

बनाम

1 विकास मिश्रा पुत्र श्री बनवारी लाल मिश्रा

2 श्रीमती नीरू पत्नी श्री विकास मिश्रा

समस्त जाति ब्राह्मण, निवासी सी–91, जे. पी. कालोनी, ईमली फाटक, जयपुर, राजस्थान।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 07.07.2022 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 74/2020 ब उनवानी बनवारी लाल मिश्रा बनाम विकास मिश्रा व अन्य

उपस्थितः–

1. अपीलार्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित है।

निर्णय दिनांक 20.09.2022

1. संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के प्रकरण संख्या 74/2020 ब उनवानी बनवारी लाल मिश्राा बनाम विकास मिश्रा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 07.07.2022 से व्यथित हो कर यह अपील प्रस्तुत की गई है।
2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 1 स्वयं उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।
4. अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलार्थी भारतीय खाद्य निगम से जनवरी 2008 सेवा निवृत्त हुआ है। अपीलार्थी संख्या 2 उसकी पत्नी

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

है। प्रत्यर्थीगण उसके पुत्र व पुत्रवधु है। अपीलार्थीगण हाई बीपी व डाईबीटीज जैसे गम्भीर रोग से ग्रसित है। अपीलार्थी संख्या एक ने अपनी स्वयं की आय से एक भू–खण्ड संख्या सी–91 जे. पी. कालोनी, ईमली, फाटक जयपुर जिसका क्षेत्रफल 188.88 वर्गगज है, को सेन ग्रह निर्माण सहकारी समिति जयपुर से वर्ष 1978 में क्रय किया था। तत्पश्चात अपीलार्थी संख्या एक ने उक्त भू–खण्ड पर स्वयं की आय व खर्चे से पक्का निर्माण कार्य करवाया व उक्त मकान में 18 जून 1980 से रिहायश हेतु उपयोग व उपभोग में लेते हुये अपने परिवार का पालन पोषण करते हुये निवास करते चले आ रहे थे । उस समय प्रत्यर्थी संख्या 1 की उम्र 5 वर्ष से भी कम थी। अपीलार्थीगण ने अपने पुत्र प्रत्यर्थी संख्या 1 का लाड दुलार किया अपनी क्षमता से अधिक उसकी प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। इस प्रकार अपीलार्थीगण ने कभी भी प्रत्यर्थी संख्या 1 की शिक्षा दीक्षा, भरण पोषण व अन्य खर्चो में किसी तरह की कोई कमी कमी नही आने दी और माता पिता होने के अपने दायित्व का पूर्ण रूप से निर्वाह किया । जिसके फलस्वरूप प्रत्यर्थी संख्या 1 का मार्च 2005 में सरकारी अध्यापक हेतु चयन हो गया । जो वर्तमान में वरिष्ठ अध्यापक के पद पर कार्यरत है। जिसे वर्तमान में 80,000/– रूपये प्रति माह वेतन प्राप्त हो रहा है। दिनांक 20.06.2005 को प्रत्यर्थी संख्या 1 का विवाह प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ सम्पन्न हुआ । जिसमें वैवाहिक जरूरतों व नई गृहस्थी हेतु उपयोग में आने वाली तमाम वस्तुओं को अपने खर्चे से दिया। तत्पश्चात घर का समस्त खर्चा जिसमें बिजली, पानी का बिल, परचूनी का सामन आदि व अन्य आवश्यक जरूरतों के खर्चो इत्यादि को अपीलार्थी संख्या एक द्वारा वहन किया जाता रहा । सन् 2010 के बाद प्रत्यर्थीगण द्वारा नाम मात्र के रूप में स्वयं के खर्चे के नाम पर ही कुछ राशि दी गई। जो उनके खर्चे के लिए पर्याप्त नहीं थी । जिसके चलते अपीलार्थी के पास अपनी कोई भी पूंजी शेष नहीं रही तथा ना ही अपीलार्थी संख्या 1 को किसी प्रकार की मासिक आय प्राप्त होती थी। लेकिन बावजूद इसके सन् 2018 में प्रत्यर्थीगण ने 2010 के बाद ही दी जाने वाली राशि को भी पूर्णतया बन्द कर दिया। क्योंकि वह 1 अगस्त 2018 से अलग खाना बनाने लग गये थे। जब तक प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण के यहां खाना खाये तब तक ही अपने खाने व बिजली, पानी के पेटे पैसे देते थे । माह अगस्त 2018 से एक रूपया भी नहीं दिया। प्रत्यर्थी संख्या 1 का व्यवहार प्रत्यर्थी संख्या 2 के साथ विवाह होने के साथ ही बेहद क्रूर होता चला गया तथां कुछ दिनों के बाद से ही प्रत्यर्थी संख्या 2 अपीलार्थीगण को भला बुरा कहने लगी । प्रत्यर्थी संख्या 2 ने धीरे धीरे अपने पति प्रत्यर्थी संख्या 01 को अपने परिवार से अलग कर दिया । इसी अनुक्रम में उसने पूरे परिवार, जिसमें अपीलार्थीगण के पुत्र विवेक, पुत्रियां सुमन व संगीता से बातचीत बंद कर अपने सम्बन्ध समाप्त कर लिये। जिससे अपीलार्थी को बेहद निराशा हुई । धीरे धीरे प्रत्यर्थीगण द्वारा एक राय होकर सामाजिक व पारीवारिक सम्बन्धों को नष्ट कर दिया तथा वे केवल स्वयं के लिये ही जीने लगे। इसके लिए उन्होंने अपने माता–पिता को भी मानसिक व शारीरिक कष्ट देते चले गये । अपीलार्थीगण जिन्होंने अपने जीवन काल में स्वयं भूखे रह कर अपने बच्चों को पालन पोषण किया और प्रत्यर्थी संख्या 1 अपने अपीलार्थी पिता के 2008 में बिना पेंशन सेवा निवृत्ति लेने के बाद भी उनका भरण पोषण नहीं कर रहे है, जिसका उनका दायित्व है। लेकिन उसके बाजवूद भी प्रत्यर्थीगण द्वारा अपने माता पिता जो कि वृद्वावस्था में है तथा बीमार रहते है, का पूर्णतया सेवा सुश्रुषा व भरण पोषण

ह०
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

नहीं किया जा रहा है, बल्कि प्रत्यर्थीगण द्वारा सदैव उन्हें उपेक्षित व मानसिक शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। अपीलार्थीगण अपने परिवार की सामाजिक इज्जत को ध्यान में रखकर सब कुछ सहते रहे लेकिन प्रत्यर्थीगण के रोजाना के क्रूरता पूर्ण व्यवहार से मानसिक रूप से परेशान व दुखी रहने लगे एवं धीरे धीरे गृह कलेश दिन पर दिन बढते गये । लेकिन छोटे पुत्र विवेक मिश्रा व पुत्रियों संगीता व सुमन की जब यह सब बाते जानकारी में आई तो उन्होंने समझा बुझा दिया और छोटा पुत्र विवेक जो दिल्ली में रहता है अपीलार्थीगण की जरूरतों को पूरा करने हेतु खर्चा भिजवा देता था। जिससे प्रत्यर्थीगण ने छोटे पुत्र विवेक मिश्रा से भी बोल चाल बन्द कर दी और उससे भी दुर्व्यवहार करने लगे। प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण के विरूद्ध दिन पर दिन क्रूर होते चले गये तथा माह अगस्त 2018 में प्रत्यर्थी संख्या 2 ने अपीलार्थी संख्या एक की अनुपस्थिति में अपनी सास अपीलार्थी संख्या 2 दो पर तीन बार हाथ उठाया तथा धक्का देकर गिराने की कोशीश की और इस प्रकार शारीरिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। प्रत्यर्थीगण ने अपने कूरता पूर्वक व्यवहार के अग्रशरण में दिनांक 19.06.2020 को सारी सीमाओं को पार करते हुये अपीलार्थीगण से बुरी तरह झगड़ा किया और कहा कि आप लोग मरते क्यों नहीं हो, लोग कोरोना में मर रहे है। तुम लोग कब मरोगे ? जब अपीलार्थीगण ने विरोध किया तो प्रत्यर्थी संख्या 1 ने घुस्से में आकर अपीलार्थीगण को कहा कि मेरे सिर पर खून सवार है । मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगा। तुम्हारे हाथ पांव तोड़ दूंगा। तुम लोग तुरन्त इस मकान को खाली करके कहीं ओर चले जाओ । ऐसा नहीं किया तो तुम अपने छोटे बेटे विवेक का मरा हुआ मुंह देखोगे। जिसके बाद जब अपीलार्थीगण बेहद परेशान हो गये तो उन्होंने जैसे तैसे मजबूरी वश दुखी होकर अपने स्वयं के मकान से अन्यत्र जा कर किराये का मकान ले लिया । इसी दौरान अपीलार्थीगण माह सितम्बर 2020 में कोरोना संकमित हो गये और जे एन यू हास्पीटल जयपुर में ईलाजरत रहे जो पूर्णतया छोटे पुत्र विवेक ने अपने खर्च से ईलाज करवाया लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 द्वारा इस दौरान अपीलार्थीगण का न तो हालचाल ही पूछा और न ही उन्हे कोई ईलाज खर्चा अथवा मानसिक सम्बल ही दिया। यहां तक की हास्पीटल से घर आने के बाद भी घर आकर भी समाचार लेने नहीं आये और औपचारिकता भी पूरी नहीं की । वर्ष 2020 धन तेरस के त्यौहार के दिन अपीलार्थीगण जो कि पत्तल कल्पने के लिये अपने मकान पर छोटे बेटे विवेक के साथ गये, तो वहां हमारे साथ झगड़ा किया । प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा विवेक के गले पर कोहनी से वार किया गया। उस पर रेजर से हमला किया। विवेक के चोटे आई, खून बहने लगा तथा बीच बचाव में अपीलार्थीगण के विरूद्ध भी सारी मर्यादाओं को तोड़ मरोड़ कर हाथ उठा लिया । विवेक की बांई उगली का टिश्यु फैक्चर हो गया । आस पड़ोस के लोगों ने जैसे तैसे समझाया । इसके अगले दिन ही दीपावली पर अपीलार्थीगण अपने उक्त मकान पर गये तो देखा कि प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 ने उसके मकान का अन्दर का ताला लगा रखा है जिसका विरोध करने पर प्रत्यर्थीगण ने साफ तौर पर कह दिया कि आज के बाद अपने मकान की तरफ देखना भी मत तथा हमसे कोई आशा भी मत करना तथा चिल्ला चिल्ला कर कहा कि आप लोग माँ बाप के नाम पर धब्बा है। प्रत्यर्थीगण के उक्त कृत्य पूर्णतया मानसिक प्रताड़ना देने वाला रहा है । जो क्षम्य नहीं है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश में इस सत्य को नजर अन्दाज किया है कि नियम 2010 की धारा 21 में स्पष्ट तौर पर प्रावधान है कि वरिष्ठ नागरिकों के जीवन एवं

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

सम्पत्ति की सुरक्षा बाबत माननीय अधिकरण उचित आदेश पारित कर सकेगा, परन्तु अधीनस्थ अधिकरण ने अपीलार्थीगण को उक्त अनुतोष प्रदान नही किया ना ही अनुतोष को अस्वीकार किये जाने का कोई ठोस अधार ही दिया । अधीनस्थ अधिकरण ने इस अहम तथ्य की ओर भी ध्यान नही दिया कि मकान संख्या सी–91 जो कि अपीलार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी स्व अर्जित सम्पत्ति है तथा उसने अपने खून पसीने की कमाई से उक्त सम्पत्ति को क्रय किया है। उक्त सम्पत्ति में प्रत्यर्थीगण को किसी भी प्रकार का कोई कानूनी हक व अधिकार नही है। प्रत्यर्थीगण के द्वारा कारित क्रूरतापूर्ण कृत्यों से अपीलार्थीगण के स्वामित्व की सम्पत्ति को खतरा बना हुआ है। उक्त सम्पत्ति की सुरक्षा एवं अपीलार्थीगण के कल्याण के लिए प्रत्यर्थीगण से परिसर खाली करवाया जाना न्यायोचित है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा न्यायिक दृष्टान्त एस बी सिविल रिट पीटीशन संख्या 412/2019 श्रीमती ललिता कंवर बनाम सुमेर सिंह खीची व अन्य मे स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अधीनस्थ अधिकरण को सम्पत्ति खाली करवाने के अधिकार प्राप्त है । इसके बावजूद भी अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उक्त निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। अतः अधीनस्थ अधिकरण का अपीलाधीन आदेश दिनाक 07.07.2022 को अपास्त किया जाकर अपीलार्थीगण के स्वामित्व की अचल सम्पत्ति मकान नम्बर सी–91 जे पी कालोनी, इमली फाटक जयपुर से प्रत्यर्थीगण को बेदखल कर उसक वास्तविक खाली कब्जा अपीलार्थीगण को दिलवाया जावे। अपीलार्थीगण के उपयोग व उपभोग मे प्रत्यर्थीगण किसी प्रकार की दखलंदाजी या व्यवधान पैदा नहीं करें । अपीलार्थीगण को 3000/– रूपये प्रति माह भरण पाषण के अदा करे।

5. प्रत्यर्थी संख्या ने उक्त तर्कों का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अपीलार्थी संख्या एक भारतीय खाद्य निगम से राजपत्रित अधिकारी के पद से जनवरी 2008 में सेवा निवृत्त हुये है। ई पी एफ विभाग द्वारा अपीलार्थी संख्या एक को प्रति महा 1418/– रूपये पेन्शन के रूप में प्राप्त होती है। यही नही अपीलार्थी संख्या 1 को पी एफ अंश की राशि एफ सी आई के पी एफ ट्रस्ट द्वारा लगभग 50 लाख रूपये प्राप्त हुई है। जो अपीलार्थी संख्या एक के अधिकार में है रही है। प्रत्यर्थी संख्या एक वर्ष 1982 से ही आय अर्जित करने लग गया था तथा अपनी समस्त अर्जित आय अपने पिता अपीलार्थी संख्या 1 को देता आ रहा था । इस प्रकार एकत्र राशि से प्रार्थी संख्या 1 द्वारा भू खण्ड संख्या सी 91, की ऊपरी मंजिल का निर्माण, मरम्मत कार्य व रंग रोगन आदि करवाये जा रहे है तथा उसमें सदैव प्रत्यर्थी संख्या 1 का योगदान रहा है। क्यों कि भू खण्ड क्रय करने में अपीलार्थी संख्या एक के पिता जो प्रत्यर्थी संख्या 1 के दादा जी है की राशि व इस भू खण्ड के द्वितीय मंजिला के निर्माण में प्रत्यर्थी संख्या एक द्वारा दी गई राशि सम्मलित है। अतः इस भू खण्ड व इस पर निर्मित मकान पर प्रत्यर्थी संख्या एक का भी अधिकार है। अपीलार्थी संख्या एक द्वारा यह कहा जाना कि वह सम्पत्ति का एक मात्र स्वामी है, सही नही है। अतः अपील खारिज करने के आदेश फरमावे।

6. उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं मिसल मातहत का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

7. अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर अपनी स्व अर्जित सम्पत्ति मकान नम्बर सी–91 **जे. पी.** कालोनी, ईमली फाटक, जयपुर राजस्थान से प्रत्यर्थीगण को बेदखल किये जाने का अनुतोष चाहा है माता–पिता व वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण नियम 2010 की धारा **20** (5) इस

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

प्रकार है– " किसी वरिष्ठ नगरिक के जीवन या सम्पति के किसी खतरे की दशा में, जिला मजिस्ट्रेट सम्यक रूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा करने का कर्तव्य होगा।" इस संबध में समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भी माता पिता व वरिष्ठ नागरिक के पक्ष मे निर्णय पारित किये गये है। सम्पूर्ण तथ्यों पर मनन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है। कि अपीलार्थीगण के जीवन व सम्पत्ति की सुरक्षा के कर्तव्य को मध्य नजर रखते हुये अनुतोष स्वीकार किये जाने योग्य है। द्वितीय, अपीलार्थीगण के दो पुत्र है 3 जिसमें से केवल प्रत्यर्थी संख्या 01 से ही 3000/–रूपया प्रति माह भरण पोषण राशि दिलाने का अनुतोष चाहा है, दूसरे बेटे विवेक से नहीं। अपीलार्थी संख्या एक भारतीय खाद्य निगम से अधिकारी पद से सेवा निवृत्त है, जिनको ई पी एफ विभाग द्वारा 1418/–रूपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्राप्त होती है तथा पी एफ अंश की राशि एफ सी आई के पी एफ ट्रस्ट से लगभग 50 लाख रूपये प्राप्त हुए है। जो भरण पोषण के लिए पर्याप्त है। भरण पोषण की राशि दिलाये जाने का अनुतोष स्वीकार योग्य नही है। फलस्वरूप अपील आंशिक स्वीकार की जाती है।

8. अपीलार्थी संख्या 1 के स्वामित्व की सम्पत्ति सी–91, जे॰ पी॰ कालोनी ईमली फाटक जयपुर राजस्थान से प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 को बेदखल किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण को उक्त सम्पत्ति में निवास करने में किसी प्रकार की परेशानी व बाधा उत्पन्न नही करने, अपीलार्थीगण से लडाई झगड़ा नहीं करने एवं सदव्यवहार करने के लिए पाबन्द किया जाता है। अधीनस्थ अधिकरण आदेश की पालना कराना सुनिश्चित करें।
9. आदेश की प्रति हस्व कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।
10. निर्णय आज दिनांक 20.09.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर